# [Compensation Cess Rules]

## The Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017

**Notification No. 2/2017 - Compensation Cess, G.S.R. 820(E), Dated 1/07/2017-** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) od section 12, read with section 11 of the Goods and Services tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

## CHAPTER - I

## **PRELIMINARY**

#### Rule 1: Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017
- (2) They shall come into force with effect from 1st day of July, 2017.

### माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) नियम, 2017

## माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 2/2017—राज्यों को प्रतिकर, दिनांक 01.07.2017—माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति), अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:—

## नियम 1 : संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।